

आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत: वित्तीय स्वायत्तता से सतत् विकास तक

डॉ. बलकार सिंह पूनियां

DOI: <https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.48-63>

ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

ग्राम पंचायतें भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव हैं, जो ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय स्वायत्तता किसी भी संस्थान की स्वतंत्र और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होती है। ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता का तात्पर्य है कि उन्हें अपने कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की योजना बनाने, उन्हें एकत्र करने और व्यय करने की स्वतंत्रता हो। इस शोध में ग्राम पंचायतों की वर्तमान वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत, व्यय की संरचना, राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली निधियों की भूमिका तथा वित्तीय स्वतंत्रता में आ रही बाधाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, फिर भी वे पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता से वंचित हैं। निधियों की निर्भरता, सीमित कराधान शक्ति, तकनीकी ज्ञान की कमी तथा पारदर्शिता की चुनौतियाँ पंचायतों की वित्तीय कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। अतः, ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने हेतु स्थायी राजस्व स्रोतों का विकास, क्षमता निर्माण, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सशक्त करेगा, बल्कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य शब्द: पंचायत, संशोधन, संवैधानिक, ग्राम स्वराज, स्वायत्तता, वित्त आयोग

प्रस्तावना

स्थानीय शासन और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। अपने पूर्ण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों केन्द्रीय एवं राज्य के अनुदान पर मुख्य रूप से निर्भर रहती है। ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में किये गए अध्ययन (वर्मा और मीना, 2024) ने पाया कि ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें आवश्यक धन के साथ सशक्त बनाती है, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करती है और स्थानीय मुद्दों को हल करती है। इस स्वायत्तता से गांवों में स्पष्ट समृद्धि आती है, जिससे समग्र ग्रामीण शासन और विकास में वृद्धि होती है।

ग्राम पंचायतों की परिभाषा

ग्राम पंचायत भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली और मूल इकाई है, जो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करती है। यह संस्था संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित की गई है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ग्राम पंचायतों का गठन सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है, जिसमें एक प्रधान (सरपंच) होता है जो पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है।

ग्राम पंचायत का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शासन की प्रक्रियाओं में भागीदारी का अवसर देना और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना है। इसकी जिम्मेदारियों में स्वच्छता, पीने के पानी की आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि विकास तथा अन्य सामुदायिक सेवाएँ शामिल हैं।

वित्तीय दृष्टि से, ग्राम पंचायतें सीमित संसाधनों के साथ कार्य करती हैं, जिनमें राज्य और केंद्र सरकारों से प्राप्त अनुदान, कर संग्रह (जैसे कि घर कर, पेशा कर), तथा अन्य स्थानीय स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है। यह संस्था लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है और 'ग्राम स्वराज्य' की अवधारणा को साकार करती है।

वित्तीय स्वायत्तता का महत्व

शुक्ला एवं पंकज, 2023 ने ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता को महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि यह उन्हें स्वतंत्र रूप से संसाधनों का प्रबंधन करने, कल्याणकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने, अंततः समग्र विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन में सुधार करने में सक्षम बनाता है। पंचायतों के ग्रामीण विकास की आधारशिला है देश में ग्रामीण विकास तभी संभव है जब पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुरूप योजनाएं बनाने का अधिकार दिया

जाएगा एवं ग्राम पंचायतों की वित्तीय आवश्यकताओं को पर्याप्त मोनिट्रिंग के द्वारा पुरा किया जाएगा | ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधन उतने ही आवश्यक है जितनी की मानव को जीने के लिए ऑक्सिजन (गौड़ा एवं शशिकुमार, 2024)| ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वतंत्र रूप से संसाधनों का आवंटन करने, विकास परियोजनाओं को लागू करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिससे समुदाय के भीतर जवाबदेही, पारदर्शिता और स्थायी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

वित्तीय संसाधनों ही ग्राम पंचायतों के कार्य एवं योजना का आधार होते हैं | भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243छ पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्वों को देने के साथ इन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने व उनको लागू करने की शक्ति प्रदान करती है।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए गए जैसे की अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य विधान मंडल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सीमाओं के भीतर पथ कर और शुल्क लगाने का अधिकार दे सकती है | कुछ विशेष सीमाओं और नियमों के अंदर राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को शुल्क, चुंगी व महसूल उगाही का अधिकार भी दे सकती है | इसी क्रम में पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग भी गठित किया गया है जो की विभिन्न केन्द्रीय पोषित योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा भी पंचायतों को वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करता है | वित्तीय स्वायत्तता के महत्त्व के उपर किये गए अध्ययन में द्विवेदी, 2024 ने पाया कि ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें राजस्व संग्रह बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने और स्थानीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह स्वायत्तता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और अंतर-सरकारी हस्तांतरण पर निर्भरता को कम करती है, जिससे समग्र ग्रामीण शासन में वृद्धि होती है।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में ग्राम पंचायतों का विकास

भारत में गांवों का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है | मौर्यकाल में कौटिल्य द्वारा लिखित 'अर्थशास्त्र' तत्कालीन समय की राजनीति पर लिखा गया पहला प्रामाणिक ग्रंथ है जिसके अध्ययन से पता चलता है की तत्कालीन समय में स्थानीय प्रशासन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था | सम्राट चन्द्रगुप्त ने शासन में विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया | गुप्त काल तक स्थानीय प्रशासन मौर्य काल जैसा ही चलता रहा परंतु मध्यकाल तक आते आते पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया और उन पर सामंतों की सत्ता स्थापित हो गई | औपनिवेशिक काल में विदेशी ताकतों ने भारत में पंचायती राज को लगभग खत्म कर दिया | पंचायतों की शक्तियां एवं अधिकार छिन लिए गए |

गांधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा एक आदर्श ग्राम पंचायत की परिकल्पना प्रस्तुत करती है वास्तव में महात्मा जी स्थानीय शासन को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाना चाहते थे। आजादी के बाद समय समय पर पंचायती राज के लिए प्रयास हुए जिसमें भारत के संविधान में पंचायतों को राज्य सूची का विषय बनाया गया इसके साथ ही संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 जोड़ा गया जिसमें राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम को उठाने का कहा गया था।

आजादी के बाद पंचायती राज को सुदृढ़ करने का पहला प्रयास 1956 में बलवंतराय मेहता समिति के गठन के साथ हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर, 1957 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और सिफारिश की कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल हों। समिति ने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और पंचायतों को अधिकार तथा वित्तीय सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला था, जहां 2 अक्टूबर, 1959 को यह व्यवस्था लागू की गई।

इसके बाद 12 दिसंबर, 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अगस्त, 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की और सिफारिश की कि देश में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत शामिल हों। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गठित करना आवश्यक नहीं है।

अशोक मेहता समिति के बाद योजना आयोग ने 25 मार्च, 1985 को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए जी.के.वी. राव समिति का गठन किया। इस समिति ने दिसंबर, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायतों की आर्थिक स्थिति, चुनाव और कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकारें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रही हैं।

राव समिति की रिपोर्ट के उपरांत एल. एम. सिंधवी की अध्यक्षता में पंचायती राज संबंधी प्रपत्र तैयार करने के लिए समिति गठित की गई। इस समिति ने 27 नवंबर, 1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं। इसके बाद 1988 में पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।

इन सभी समितियों की सिफारिशों के बावजूद पंचायती राज में कई कमियाँ थीं। इनमें नियमित चुनाव न होना, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति-जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व न होना, महिलाओं की भागीदारी का अभाव, पंचायतों के पास पर्याप्त शक्ति और अधिकार का न होना तथा वित्तीय समस्याएँ शामिल थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए 16 सितंबर, 1991 को संविधान (73वाँ संशोधन) विधेयक पेश किया गया। इसे 22 दिसंबर, 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया और 24 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में अंतिम रूप दिया गया। अधिनियम में यह प्रावधान था कि इसके लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपने पंचायती राज अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करना होगा। इस प्रकार, 24 अप्रैल, 1993 से पहले सभी राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम संशोधित कर लिए।

वित्तीय स्वायत्तता का समर्थन करने वाला विधायी ढांचा

वित्तीय स्वायत्तता का समर्थन करने वाला विधायी ढांचा स्थानीय सरकारों और संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और वित्तीय क्षमताओं को परिभाषित करता है। यह ढांचा सभी देशों में भिन्न भिन्न होता है, जो संवैधानिक प्रावधानों और विधायी प्रथाओं से प्रभावित होता है।

भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता का समर्थन करने वाला विधायी ढांचा मुख्य रूप से 1992 के 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में निहित है, जिसने स्थानीय स्व-सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता सहित शक्तियों और जिम्मेदारियों को हस्तांतरित करके पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है। इस ढांचे का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अपने वित्तीय संसाधनों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने में सक्षम बनाकर स्थानीय शासन को बढ़ाना है, जिससे स्थानीय विकास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। विधायी प्रावधानों और उनके प्रभावों को विभिन्न अध्ययनों और विश्लेषणों के माध्यम से और विस्तृत किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I में राज्य और पंचायतों के बीच कर बंटवारे की सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। प्रारंभिक राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर किया जाना था। इसके बाद, हर पाँच साल में नए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना था। हालाँकि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन 2019-20 में सभी राज्यों के लिए निर्धारित था, लेकिन इसका गठन सभी राज्यों में एक समान और समय पर नहीं हुआ है। पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग रिपोर्ट के अनुसार, केवल 4 राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, पंजाब और राजस्थान ने अपना छठा राज्य वित्त आयोग स्थापित किया था, और अन्य 11 राज्यों ने तब तक अपना पाँचवाँ राज्य वित्त आयोग गठित किया था। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, केवल 9 राज्यों ने 2022 तक अपना छठा

राज्य वित्त आयोग गठित किया है। स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पंद्रहवें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों को 2024-25 और 2025-26 के लिए अनुदान वितरित करने हेतु राज्य वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन एक आवश्यक शर्त होगी।

तालिका 4.1: केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा आरएलबी को अनुदान

केंद्रीय वित्त आयोग	अनुदान की मात्रा (₹ करोड़ में)	संवितरण का प्रकार	अनुदान से जुड़ी शर्तें (यदि कोई हों)	संवितरण में अंतर (प्रतिशत में)
X (1995-2000)	4, 381	पूर्ण	अनुदान का उपयोग वेतन और मजदूरी देने के लिए नहीं किया जाएगा	18.4
XI (2000-05)	8, 000	पूर्ण	1. खातों का रखरखाव पहली प्राथमिकता होगी। 2. नागरिक सेवाओं का प्रावधान	17.5
XII (2005-10)	20, 000	पूर्ण	जल आपूर्ति और स्वच्छता को प्राथमिकता	5.4
XIII (2010-15)	64, 408	विभाज्य पूल का आनुपातिक	खातों और लेखा परीक्षा प्रणालियों को बनाए रखने के लिए प्रदर्शन अनुदान	9.3
XIV (2015-20)	2, 00, 292	पूर्ण	बजट डेटाबेस और स्वयं के राजस्व में सुधार से जुड़े प्रदर्शन अनुदान	10.4
XV (2021-26)	2, 36, 805	पूर्ण	1. अनुदान प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता एक पूर्व शर्त है 2. 60 प्रतिशत अनुदान जल और स्वच्छता पर खर्च किए जाएंगे।	-

टिप्पणियाँ:

- 1 आनुपातिक अनुदान को करों के विभाज्य पूल के प्रतिशत (राज्यों के हिस्से से अधिक) के रूप में व्यक्त किया जाता है; जबकि पूर्ण अनुदान को निश्चित राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीएफसी-XIII के लिए वास्तविक विभाज्य पूल के आधार पर आवंटन की सिफारिश की गई थी।
- 2 संवितरण में अंतर की गणना XV सीएफसी रिपोर्ट से अनुशंसित अनुदानों के प्रतिशत के रूप में जारी किए गए अनुदानों के आंकड़ों का उपयोग करके की जाती है।

स्रोत: केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्टें।

इस तालिका में पंचायतो को मिलने वाले अनुदान वृद्धि को देखा जा सकता है दसवें वित्त आयोग (1995-2000) में जहाँ पंचायतो को 4, 381 करोड़ का अनुदान मिला वहीं ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-2005) में 8000 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ वहीं बारहवें वित्त आयोग (2005-2010) में यह राशी बढ़कर दुगुनी से अधिक लगभग 20, 000 करोड़ रूपए, तेरहवें वित्त आयोग (2010-2015) में 64, 408 करोड़, चौदहवें वित्त आयोग (2015-2020) में 2, 00, 292 करोड़ रुपये हो गई और निरंतर वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतो के लिए अनुदान बढ़ाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायतो को मिलने वाला अनुदान प्रत्येक वित्त आयोग ने बढ़ाया और यह सीधे रूप से इंगित करता है कि पंचायते अनुदान के लिए केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर हैं।

पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग (2021-26) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये की एक निश्चित राशि की सिफारिश की। ये अनुदान 73वें संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर के क्षेत्रों के लिए भी थे। इनमें से 60 प्रतिशत अनुदान विशेष रूप से जल और स्वच्छता से संबंधित क्षेत्रों के लिए थे। आयोग ने किसी भी अनुदान का लाभ उठाने के लिए लेखापरीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता को एक पूर्वापेक्षा के रूप में निर्दिष्ट किया। स्थानीय निकायों को धनराशि का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार से ऐसे अनुदान प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकाय अनुदान जारी करना अनिवार्य कर दिया, जिसमें उक्त अवधि से अधिक किसी भी देरी के लिए एक विशिष्ट ब्याज दर का भुगतान किया जाना था।

वित्तीय स्वायत्तता की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश की अधिकतर पंचायते अपने वित्त पोषण के लिए बाहरी अनुदानों पर ही निर्भर है जिसमें की अगर देखा जाये तो ग्राम पंचायत की कुल आय का मात्र 1% ही स्वयं द्वारा अर्जित है एवं कुल अनुदानों का 80% केंद्र एवं 15% राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान 73वें संशोधन के बाद भी अधिकांश राज्यों में पूरी तरह से 29 निहित

कार्यों का हस्तांतरण नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्यमंत्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार, केवल 20% से कम राज्य पूरी तरह फण्ड एवं निर्णय-निर्माण अधिकार संप्रेषित कर चुके हैं। इसके अलावा कई राज्यों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति और वित्तीय जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी है, इसके साथ ही कर दिशा निर्देश अस्पष्ट हैं, और स्थानीय कर संग्रह तंत्र कमजोर है।

हाल ही के वर्षों में इस प्रकार की कमी को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय के तत्वाधान में आई आई एम अहमदाबाद के सहयोग से आत्म निर्भर पंचायत हेतु स्वयं के स्रोत से राजस्व प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए 'समर्थ डिजिटल पोर्टल' विकसित किया गया है। जो कि samarthpanchayat.gov.in पर देखा जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के स्रोत

ग्राम पंचायत द्वारा स्वउत्पन्न आय जिसे अंग्रेजी में स्वयं के स्रोत भी कहा जाता है के दो प्रकार हैं पहला टैक्स राजस्व जिसे अंग्रेजी में स्वयं का कर राजस्व कहा जाता है जो कि सम्पति/घर कर, व्यवसाय/पेशा कर, वाहन कर, मनोरंजन/मेला कर, विज्ञापन कर, भूमि एवं बाजार कर यह सभी राजस्व स्रोत राज्य के पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं तथा दूसरा है गैर-टैक्स राजस्व जिसे अंग्रेजी में स्वयं का गैर-कर राजस्व कहा जाता है इसमें जल शुल्क, स्वच्छता/नाली शुल्क, सार्वजनिक शौचालय शुल्क, पंचायत भवन, बाजार तथा तालाबों का रेंट/लीज, विवाह या ग्राम सभा गतिविधियों की लाइसेंस फ़ीस, जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र शुल्क तथा ब्याज आय, जुर्माना, स्क्रैप बिक्री आदि हो सकता है। (सुरोवका के., 2017) पेपर स्थानीय स्व-सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता पर चर्चा करता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए सार्वजनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए स्वतंत्र वित्तीय स्रोतों के महत्व पर जोर दिया जाता है, जिससे व्यापक लोकतांत्रिक शासन ढांचे के भीतर उनका सशक्तिकरण और स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

पंचायतों की राजकोषीय शक्तियां और कार्य

तालिका 4.2: पंचायतों को 29 विषयों के राज्य-वार हस्तांतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	हस्तांतरित विषयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	25
2	असम	21
3	बिहार	26
4	छत्तीसगढ़	20
5	गोवा	-
6	गुजरात	21
7	हरियाणा	29
8	हिमाचल प्रदेश	29
9	झारखंड	18
10	कर्नाटक	29

11	केरल	29
12	मध्य प्रदेश	14
13	महाराष्ट्र	29
14	मणिपुर	5
15	ओडिशा	21
16	पंजाब	9
17	राजस्थान	25

18	सिक्किम	29
19	तमिलनाडु	28
20	तेलंगाना	14
21	त्रिपुरा	12
22	उत्तर प्रदेश	26
23	उत्तराखंड	11
24	पश्चिम बंगाल	28

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय

अनुच्छेद 243(छ) के तहत भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जिन्हें राज्यों द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपा गया है। पंचायती को इन 29 विषयों पर कानून बनाने एवं कार्य करने का प्रावधान भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिया गया है हालाँकि ये विषय ग्राम स्तर पर विकास और कल्याण कार्यों से संबंधित हैं। भारत के संविधान में तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सम्बन्धी 29 विषय सूचीबद्ध किए गए, जिन पर ग्राम पंचायतें काम कर सकती हैं परन्तु बहुत से राज्यों ने इन विषयों को पूरी तरह से पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया है जैसे आंध्र प्रदेश ने 25, असम ने 21, बिहार ने 26 इस प्रकार पंचायतों को हस्तांतरित विषयों की संख्या राज्यवार अलग अलग है। अगर बात की जाये तो पंचायतों को पूर्ण विषय हस्तांतरित करने वाले राज्यों की तो उनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम अग्रणी राज्य हैं, वहीं इस मामले में पिछड़े राज्य जो की अभी तक पंचायतों को पूर्ण विषय हस्तांतरित नहीं कर पाए उनमें गोवा, मणिपुर, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड प्रमुख हैं। ग्यारहवीं अनुसूची के प्रमुख विषय इस प्रकार हैं -

ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243 छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि- विस्तार है
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन
5. मत्स्य उद्योग

6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी
7. लघु वन उपज
8. लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद प्रसंस्करण उद्योग भी हैं
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवासन
11. पेयजल
12. इंधन और चारा
13. सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विधुत का वितरण है
15. अपारंपरिक उर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. संस्कृतिक क्रियाकलाप
22. बाजार और मेले
23. स्वस्थ और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वस्थ केंद्र और औषधालय भी हैं
24. परिवार कल्याण
25. महिला और बाल विकास
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (24 – 4 -1993 से) अन्तः स्थापित

यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं की पंचायतो को जब तक ग्यारहवीं अनुसूची के विषय हस्तांतरित नहीं किये जायेंगे एवं उन्हें इनके लिए पूर्ण वित्तीय अनुदान नहीं दिया जायेगा जब तक ग्राम विकास की दिशा में आगे की राह तथा पूर्ण विकेंद्रीकरण का लक्ष्य अधुरा रहेगा।

वित्तीय स्वायत्तता के लिए चुनौतियाँ

राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भरता

बाबू एम. डी. (2009) 73वें संशोधन अधिनियम की धाराएँ 243(H) और 243(I) पंचायतों के लिए वित्तीय शक्तियों का वर्णन करती हैं। अनुच्छेद 243(I) एक राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था करती है तथा अनुच्छेद 280(bb) और 280(c) केंद्रीय वित्त आयोग पर स्थानीय निकायों के संसाधनों की जांच करने की जिम्मेदारी डालती हैं।

तालिका 4.3: पंचायत वित्त- 2020-23 के लिए प्रमुख अनुपात (प्रतिशत में)

पंचायत वित्त	2020-21	2021-22	2022-23
अपना-कर राजस्व कुल राजस्व प्राप्ति से	1.1	1.1	1.0
राज्यों के अनुदान कुल राजस्व प्राप्ति से	17.8	15.8	15.4
केंद्र सरकार के अनुदान कुल राजस्व प्राप्ति से	77.5	79.6	70.8
संयुक्त (केंद्र + राज्य) अनुदान कुल राजस्व प्राप्ति से	95.7	95.7	95.5
पंचायत की राजस्व प्राप्ति वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी से	0.21	0.16	0.13
पंचायत के व्यय का वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी से अनुपात	0.13	0.10	0.08

नोट:

- 1- अनुपात प्रति पंचायत औसत अनुमानों का उपयोग करके गणना किए जाते हैं।
- 2- संयुक्त अनुदान में केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय

2022-23 तक पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों को मिलने वाले कुल राजस्व का लगभग 1% ही पंचायतों द्वारा स्व अर्जित टैक्स से प्राप्त होता है जिसमें की 3-4% गैर टैक्स राजस्व से प्राप्त होता है इसके साथ ही कुल राजस्व का 15.4% राजस्व राज्य सरकार से एवं 79.8% राजस्व केंद्र सरकार की मद से प्राप्त होता है। कुल मिलकर यह कहा जा सकता है की कुल टैक्स राजस्व का 95.5% राजस्व केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुदान से प्राप्त होता है। वर्ष 2020-21 की तुलना में पंचायतों का स्व अर्जित टैक्स राजस्व में 0.1% प्रतिशत की गिरावट आई है एवं राज्य द्वारा दिए गए राजस्व अनुदान में 2020-21 की तुलना में 2022-23 में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई है इसके अलावा केंद्र द्वारा दिए गए अनुदान में वर्ष 2020-21 की तुलना में 2022-23 में 2.3% की बढ़ोतरी हुई है। तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल अनुदानों में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 0.2% की गिरावट आई है।

पंचायतों अपने वित्त पोषण के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों पर निर्भर है। यही कारण है की पंचायतों में योजनायें केंद्र से पंचायतों के लिए बनाई जाती है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं का धरातल से बनना जरूरी है एवं पंचायतों की आवश्यकता अनुरूप उन्हें अपने स्वयं के लिए राजस्व स्रोत को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि वे पूरी क्षमता के साथ ग्रामीण विकास कर सकें।

वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी

प्रतीप (2015) ने अध्ययन में पाया की किस प्रकार अपर्याप्त संसाधनों एवं वित्तीय प्रबंधन क्षमता की कमी, राजस्व के निम्नतम स्रोत आदि मुख्य मुद्दों को पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी के रूप में निम्न बिन्दुओं में अंकित किया जो इस प्रकार है-

1. ग्राम पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण न केवल अपर्याप्त है, बल्कि यह राज्यों के अनुसार भी भिन्न है। संविधान भारत में पंचायत राज संस्थाओं को राजस्व के अनेक स्रोत प्रदान करता है। लेकिन कई राज्य अभी तक राज्यों को पर्याप्त वित्त, कार्य और कार्यकर्ता हस्तांतरित करने के लिए आगे नहीं आए हैं।
2. राजस्व के स्वयं के खराब स्रोत भारत में ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहे हैं। राजस्व के अपने स्रोतों का राष्ट्रीय औसत राजस्व के कुल राजस्व स्रोतों के दस प्रतिशत से कम है। अधिकांश राज्यों में राजस्व के अपने स्रोत नगण्य रूप से कम हैं। इस खेदजनक स्थिति के कई कारण हैं और वे हैं ग्राम पंचायतों को कम संख्या में कराधान और गैर-कराधान शक्तियां सौंपना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कम राजस्व दरें, ग्राम पंचायत के अधिकारियों की अनिच्छा, लोगों पर कर और गैर-कर लगाने के लिए प्रतिनिधि।

3. ग्राम पंचायतों की कर राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित है। उनकी आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से स्वयं के राजस्व स्रोतों, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों की व्यापकता, शहरी विशेषताओं और नजदीकी शहरी क्षेत्रों पर निर्भर करती है।
4. ग्राम पंचायत का खराब वित्तीय प्रबंधन। ग्राम पंचायतों में संसाधनों के संग्रहण, अभिलेखन तंत्र, आंकड़ा संग्रहण तंत्र, राजस्व स्रोतों का आकलन, व्यय प्रबंधन, कर निर्धारण की गणना, बकाया की वसूली, घर-घर जाकर कर संग्रहण तंत्र, राजस्व मूल्यांकन एवं संग्रहण का कम्प्यूटरीकरण आदि में प्रबंधकीय कौशल कई तरह से दोषपूर्ण है।
5. डेटा संग्रह और भंडारण की कमी है। केन्द्र और राज्य स्तर पर सभी वित्त आयोगों द्वारा इंगित की गई प्रमुख समस्याओं में से एक पंचायती राज संस्थाओं में उपलब्ध आंकड़ों की दयनीय स्थिति है। ग्राम पंचायतें अपने राजस्व के स्रोतों, राजस्व संभाव्यता, कुछ वर्षों में ग्राम पंचायतों के राजस्व संग्रहण, पिछले कुछ वर्षों में व्यय, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या, खेती के तहत क्षेत्र, विभिन्न खनिजों, रेत, ग्रामीण उद्योगों, छोटे व्यवसायों आदि की उपलब्धता में लगभग अंधी हैं।
6. ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की अधिकता का अस्तित्व। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन इससे पंचायतों का कार्यभार बढ़ गया है। मौजूदा जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक व्यवहार में, ग्राम पंचायतें उन्हें आबंटित धनराशि को बंधे हुए प्रायोजित कार्यक्रमों और योजनाओं का उपयोग करने के लिए खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। ग्राम पंचायतें भारत में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण घटक हैं। अस्तित्व और निष्पादन संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के नए स्रोतों का पता लगाने की क्षमता और वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायतों का वर्तमान वित्तीय प्रबंधन कई तरह से कुशल नहीं है। यदि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और वास्तविक लोकतंत्र को सफल बनाना है तो ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना होगा।

कैन एवं कावुगाना (2023) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय सरकारों के लिए वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें प्रशासनिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाती है और ग्रामीण विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों पर खराब पूंजी वित्त पोषण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप

कई बार राजनीति का निम्न स्तर भी ग्राम विकास एवं पंचायतों के विकास में बाधा बन सकता है गांवों में कई छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो की किसी भी कार्य को करने में अपने निजी राजनीतिक हित

को साधने के लिए हस्तक्षेप करते हैं जिससे पंचायते अपना कार्य नहीं कर पाती हैं एवं इससे सीधे रूप से ग्रामीण विकास पर असर पड़ता है।

वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के अवसर

स्थानीय राजस्व सृजन को मजबूत करना एवं राजस्व के अधिक से अधिक उपयोगों को खोजना।

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करना जिससे की पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाया जा सके।
- नीतिगत सिफारिशें करना जिससे की ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को बढ़ाया जा सके।

राज्यवार अध्ययन

अध्ययन में पाया गया है कि आंध्र प्रदेश में विभाजन से पहले और बाद की दोनों अवधियों के दौरान ग्राम पंचायतों ने मंडल प्रजा परिषदों और जिला प्रजा परिषदों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय स्वायत्तता का प्रदर्शन किया, जो पीआरआई के तीन स्तरों के बीच उनकी मजबूत वित्तीय स्वतंत्रता को उजागर करता (गुन्दुपल्ली एवं अन्य, 2023)।

पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता उनके स्वयं के स्रोत राजस्व उत्पन्न करने, अनुदान प्राप्त करने और व्यय का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता से प्रभावित होती है, जिसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक कारकों के कारण असमानताएं उनके वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं (चट्टोपाध्याय, 2023)।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता में बाधा के रूप में अपर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया है। स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम सभाएं स्थायी ग्रामीण विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

1992 में, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण भारत में तीन स्तरों पर संस्थागत किया: ग्राम पंचायतें गाँव स्तर पर, मंडल पंचायतें मध्यवर्ती/ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। भारत में कुल 2.62 लाख पीआरआई हैं, जिनमें 2.55 लाख ग्राम पंचायतें, 6, 707 मंडल पंचायतें और 665 जिला परिषदें शामिल हैं, जो अक्टूबर 2023 के अंत तक की स्थिति है।

प्रभावी कामकाज के लिए ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक है, जिसके लिए अनुदानों पर निर्भरता कम करने और कर संग्रह के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

सिफारिशों में उन्हें कर लगाने के लिए सशक्त बनाना और उनकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए समय-समय पर वित्तीय समीक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भारत के गांवों में निवास करते हैं और विकास के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना एवं उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित करना देश के विकास के लिए आवश्यक है जैसे की महात्मा गाँधी ने कहा था कि “गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना अधूरी है”।

सन्दर्भ

- गौड़ा, एन. एवं डॉ. शशिकुमार, टी. पी. (2024). ग्राम सभा: स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी हेतु उत्प्रेरक के रूप में. *आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*, 29(12), 35–39. <https://doi.org/10.9790/0837-2912073539>
- गोनूपुलुगु, जे., पदाकण्डला, एस. आर., एवं माकेनी, सी. (2023). पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) का राजकोषीय प्रदर्शन: आंध्र प्रदेश राज्य का पूर्व और पश्च-विभाजन काल का एक अनुभवजन्य विश्लेषण. *जर्नल ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट*. <https://doi.org/10.25175/jrd/2022/v41/i3/153966>
- चट्टोपाध्याय, एस. (2023). पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों की वित्त व्यवस्था: विषमताएँ और निर्धारक. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट*, 20(1), 145–164. <https://doi.org/10.1177/09730052231183218>
- द हिन्दू बिज़नेस लाइन. (2024, 16 नवम्बर). पंचायतों के लिए स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्रति व्यक्ति ₹59 पर सीमित. *द हिन्दू बिज़नेस लाइन*.
- द्विवेदी, एच. के. (2024). स्थानीय निकायों की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना (पृ. 181–197). *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198903116.003.0011>
- बाबू, एम. डी. (2009). भारत में पंचायतों का राजकोषीय सशक्तिकरण: वास्तविकता या अलंकार. *द इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज*, बेंगलुरु.
- भारतीय संविधान. भारत सरकार.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (2024). पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था (रिपोर्ट). *भारतीय रिज़र्व बैंक*, भारत सरकार.
- महिपाल (2012). ग्राम नियोजन. *नेशनल बुक ट्रस्ट*, नई दिल्ली.

- महिपाल (2015). पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. *नेशनल बुक ट्रस्ट*, नई दिल्ली.
- मेहता, ए. (1978). पंचायती राज संस्थाओं पर समिति की रिपोर्ट. *भारत सरकार*.
- पंथ, ए. एस. एवं बोहरा, ओ. पी. (1995). पंचायत राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था. *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 41(1), 68–77. <https://doi.org/10.1177/0019556119950105>
- पंचायत राज मंत्रालय – <https://panchayat.gov.in/>
- पंचायत राज मंत्रालय (2020). चुने गए भारतीय राज्यों में ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग और प्रभाव का मूल्यांकन.
- प्रथीप, सी. (2015). भारत में ग्राम पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन. *इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस*.
- वर्मा, जे. के. एवं मीणा, एम. के. (2024). ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान: अलवर ज़िले की श्री चाँदपुरा, नायगाँव बोलका, थाना राजाजी और कलेशन ग्राम पंचायतों का अध्ययन. *रिसर्च हब*, 11(4), 64–70. <https://doi.org/10.53573/rhimrj.2024.v11n4.011>
- शुक्ला, एस. एवं पंकज, ए. (2023). ग्रामीण भारत के परिवर्तन में ग्राम पंचायत की संभावनाएँ: एक समाज-कानूनी विश्लेषण. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज*, 70–78. <https://doi.org/10.60143/ijls.v8.i1.2022.76>
- कान, वाई. एस. एवं कावुगाना, ए. (2023). राष्ट्रीय विकास की आधारशिला के रूप में स्थानीय सरकार की वित्तीय स्वायत्तता का विश्लेषण (बाउची स्थानीय सरकार का अध्ययन). *जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट*. <https://doi.org/10.56201/jafm.v9.no9.2023.pg144.152>
- केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्टें. *केंद्रीय वित्त आयोग*. नई दिल्ली